न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./47/2024/बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
टीकमाराम पुत्र गुणेशाराम जाति जाट निवासी हुडो का तला नौखड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. दलाराम पुत्र केशराराम 2. केहनी पत्नी केशराराम जाति जाट निवासी हुडो का तला नौखड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 3. श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2021 बउनवान दलाराम वगैरह बनाम टीकमाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री उगराराम सहारण रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 19.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के खातेदारी एवं मालिकाना अधिकार के खेत मौजा हुडो का तला तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा संख्या 222 रकबा 38.03 बीघा का आया हुआ है। वादीगण ने अपने खेत की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु न्यायालय में एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जो आवेदन संख्या 25/2018 है जिस पर न्यायालय श्री द्वारा वादीगण के खेत की पक्की नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को दिनांक 18.02.2019 को अधिकृत किया गया। जिस पर तहसीलदार द्वारा राजस्व टीम का गठन कर दिनांक 30.05.2019 को मौका निरीक्षण

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया जिस मौका रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 01 का वादीगण के खेत में कब्जा होना पाया गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जो कब्जा किया गया है उसका कब्जा पुनः वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। इस आश्य का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलकर्ता के वादग्रस्त खेत की भूमि मौजा हुडो का तला तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा में होना बताया गया है लेकिन तहसीलदार नौखड़ा को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलकर्ता द्वारा उत्तरदाता संख्या 01 के कब्जे की भूमि पर अतिक्रमण होना बताया गया है जबकि उक्त वाद पत्र में यह कहीं नहीं अंकित किया है कि अपीलकर्ता ने उत्तरदाता संख्या 01 के खातेदारी के खेत में कितनी भूमि जिसका नाप व पड़ौस अंकित होना चाहिये पर कब्जा किया है लेकिन उक्त महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा वाद पत्र में नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तरदाता संख्या 01 के वाद को निर्णीत एवं डिक्री करने में भूल की है। हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय में मात्र उत्तरदाता संख्या 01 साक्ष्य में परिक्षित हुआ है इसके अलावा इस प्रकरण में अन्य कोई गवाह परिक्षित नहीं हुआ है। अपीलांटगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। वादग्रस्त खसरा संख्या 222 के सहखातेदारों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई उसे वादी/उत्तरदाता साबित करने में असफल रहा है। उत्तरदाता द्वारा जो नेखमबंदी का हवाला दिया गया है उस नेखमबंदी के आदेश के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त के यहां पर अपील प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अपीलांटस को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटगण द्वारा वादी/उत्तरदाता की खातेदारी भूमि अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर दिया गया। वाद के लिए विधि में वर्णित समस्त प्रक्रिया को अपानाते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात हस्तगत वाद का निर्णय किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उत्तरदाता/वादी ने हस्तगत वाद को अपने खातेदारी हक अधिकार की भूमि होने का कथन करते हुए अपीलांट द्वारा उत्तरदाता की खातेदारी भूमि पर किये अनाधिकृत कब्जे को प्राप्त करने हेतु पेश किया गया जबकि इस बिंदु का निस्तारण साक्ष्य सबूत के आधार पर ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाये बिना ही नेखमबंदी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट/प्रतिवादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2021 बउनवान दलाराम वगैरह बनाम टीकमाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री दिनांक 14.10.2024 अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.08.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर